

तारीख हुक्म

10.08.21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

घासी बनाम राजस्थान सरकार

713/20 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00584)

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रकरण में रूक-रूककर फिर से कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आये है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण अप्रैल 2020 से तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा तलबी कार्यवाही नहीं करवाई गई है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम-हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)

संभागीय आयुक्ता
जयपुर